प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (से.) क्रमांक 2369 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता:	राजीव राठौर
	विरुद्ध
उत्तरवादीगण:	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

निर्णय एवं आदेश सुनाने के लिए दिनांक 8 मार्च, 2011 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (से.) क्रमांक 2369 वर्ष 2009

याचिकाकर्ता:	राजीव राठौर
	विरुद्ध
उत्तरवादीगण:	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका)

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री राकेश एंथोनी।

श्री एन.एन. रॉय, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

(दिनांक 8 मार्च, 2011 को उदघोषित किया गया)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता, उत्तरवादीगण को निर्देश देने की मांग करता है कि वे उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से अर्थात दिनांक 04.04.1985 से नियमित वेतनमान प्रदान करें।

2. याचिकाकर्ता द्वारा मामले के उचित न्याय निर्णयन हेतु संक्षेप में प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रारंभ में याचिकाकर्ता को सरकारी देशी शराब की दुकान में सेल्समैन के रूप में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कलेक्टर (आबकारी), खरगौन द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.04.1985 (अनुलग्नक पी/1) के अनुसार नियुक्त किया गया था। हालांकि, नीति में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारियों की सेवाएं दिनांक 21.06.1990 को समाप्त कर दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उक्त कार्रवाई से व्यथित होकर, सेवा समाप्त किए गए कर्मचारियों ने राज्य प्रशासनिक अधिकरण (*संक्षेप में "अधिकरण"*) के समक्ष एक मूल आवेदन प्रस्तुत किया, जो कि ओ. ए. क्रमांक 1006/1990 (*मध्य प्रदेश तृतीय श्रेणी सरकारी कर्मचारी संघ एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य*) था। उक्त मूल आवेदन का निराकरण अधिकरण द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में किया गया।

4. याचिकाकर्ता के अनुसार, इसके विरुद्ध सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की अपील निरस्त करते हुए छह महीने के भीतर योजना बनाने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी याचिकाकर्ता की सेवाओं को संविलियन नहीं किया गया है।

5. राजनांदगांव के कलेक्टर (आबकारी) ने आदेश दिनांक 26.03.1993 (अनुलग्नक पी/3) के द्वारा याचिकाकर्ता को 89 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर

सेल्समैन के पद पर नियुक्त किया। जब याचिकाकर्ता की सेवाओं को स्थायी नहीं किया गया, तो उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत किया, अर्थात् डब्लू.पी. क्रमांक 397/2003। उक्त रिट याचिका का निपटारा इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.04.2003 (अनुलग्नक पी/4) के द्वारा किया, जिसमें उत्तरवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

6. सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 26-07-2004 (अनुलग्नक पी/5) के द्वारा आबकारी विभाग में आबकारी कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। तब से याचिकाकर्ता उत्तरवादी विभाग में कार्यरत है। हालांकि, याचिकाकर्ता की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से लेकर संविलियन तिथि तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी गई है। उत्तरवादी प्राधिकारियों की इस निष्क्रियता से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एंथोनी ने निवेदन किया कि उत्तरवादीगण की यह आक्षेपित कार्रवाई अवैध, मनमानी और कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता ने सेल्समैन के पद पर निरंतर कार्य किया है; इसलिए याचिकाकर्ता वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने का

अधिकारी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी, उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता की सेवाओं को तुरंत संविलियन नहीं किया है। उत्तरवादीगण की आक्षेपित कार्रवाई विधिक रूप से गलत है। अतः, पूर्वोक्तानुसार उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उपर्युक्त आवश्यक वित्तीय लाभ प्रदान करें।

8. दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री रॉय ने बताया कि याचिकाकर्ता के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में सेवा के दौरान, उसके विरुद्ध देशी शराब को अधिक कीमत पर बेचने और खाली बोतलों को कम कीमत पर खरीदने के संबंध में कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। उक्त शिकायत के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध जांच शुरू की गई थी। स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने दिनांक 31.05.1995 को अपना त्यागपत्र (अनुलग्नक आर/1) दे दिया, जिसे राजनांदगांव के कलेक्टर ने दिनांक 15.06.1995 को स्वीकार (अनुलग्नक आर/2) कर लिया, लेकिन याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा इस न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा त्यागपत्र को वापस लेने के आवेदन और उसके द्वारा दिए गए कई अभ्यावेदनों पर विचार करते हुए, राजनांदगांव के कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को दिनांक 05.01.1996 से 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन के आधार पर पुनः नियुक्त कर दिया। इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय, इस न्यायालय और अधिकरण द्वारा जारी निर्देश

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

के आधार पर, याचिकाकर्ता की सेवाओं को दिनांक 30.07.2004 को आबकारी कांस्टेबल के रूप में संविलियन कर लिया गया।

9. श्री रॉय आगे यह तर्क दिया कि वर्तमान याचिका विलंब और लापरवाही से भरी है, क्योंकि वाद का कारण वर्ष 2004 में उत्पन्न हुआ था, यद्यपि याचिकाकर्ता ने यह याचिका दिनांक 05.05.2009 को प्रस्तुत किया है। इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और याचिका विलंब और लापरवाही के आधार पर तथा सुसंगत तथ्यों को छिपाने के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मैंने दोनों पक्षों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया, अभिवाचनों तथा उनसे संलग्न दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है।

11. याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के विरुद्ध, एसोसिएशन द्वारा अधिकरण के समक्ष आवेदन ओ. ए. क्रमांक 1006/1990 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अधिकरण ने दिनांक 01.08.1990 के अपने आदेश (अनुलग्नक पी/2) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया.....

> "11...राज्य सरकार चार महीने के भीतर या संभव हो तो उससे भी पहले, आवेदकों और अन्य छंटनी किए गए या हटाए गए कर्मचारियों (विक्रेता और चौकीदार) को अपने विभिन्न विभागों में उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, रिक्त पदों के लिए

संविलियन करने की कोई योजना बनाएगी। ऐसे पूर्व कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे छंटनी किए गए कर्मचारियों के लिए रोजगार कार्यालय द्वारा अपना नाम प्रायोजित करवाना आवश्यक नहीं होगा।"

12. इसके विरुद्ध, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उत्तरवादीगण ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने छह महीने के भीतर योजना बनाने का निर्देश देते हुए अपील निरस्त कर दी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश इस न्यायालय के अवलोकन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता को दिनांक 26.03.1993 को 89 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी आधार पर सेल्समैन के पद पर पुनः नियुक्त किया गया (अनुलग्नक पी/3)। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 397/2003 प्रस्तुत कर अधिकरण द्वारा पारित आदेश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन की मांग की। इस न्यायालय ने प्रकरण का निराकरण करते हुए दिनांक 02.04.2003 के आदेश (अनुलग्नक पी/4) द्वारा याचिकाकर्ता को एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी और उत्तरवादीगण को चार महीने की अवधि के भीतर अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। उत्तरवादीगण ने दिनांक 26.7.2004 के आदेश (अनुलग्नक पी/5) द्वारा याचिकाकर्ता को अस्थायी आधार पर स्थायी नियुक्ति के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माध्यम से आबकारी कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। इस याचिका में याचिकाकर्ता दिनांक 04.04.1985 से वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के बाद वरिष्ठता और नियमित वेतनमान की मांग करता है, अर्थात जिस तारीख को उसे 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया था।

13. याचिकाकर्ता दिनांक 21.06.1990 से सेवामुक्त होने के बाद दिनांक 26.03.1993 को दैनिक वेतन के आधार पर 89 दिनों के लिए पुनः नियुक्त होने तक सेवा से बाहर रहे। याचिकाकर्ता ने दिनांक 31.05.1995 को सेवा से त्यागपत्र दे दिया (अनुलग्नक आर/1), जिसे दिनांक 15.06.1995 को विधिवत स्वीकार कर लिया गया (अनुलग्नक आर/2)। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का खुलासा इस याचिका में नहीं किया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कई अभ्यावेदनों के आधार पर, कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को दिनांक 05.01.1996 को 89 दिनों की अवधि के लिए पुनः नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का भी खुलासा नहीं किया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 17.6.2010 के आदेश (अनुलग्नक आर-जे/2) द्वारा न्यायोचित वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसमें 13.02.1991 से 31.03.1993 तक की अनुपस्थिति की अवधि को 'काम नहीं-कोई वेतन नहीं' के लिए असाधारण अवकाश माना गया। इसके बाद, वेतनमान दिनांक 01.01.1996 से निर्धारित किया गया और संशोधित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से लागू किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि और तदनुसार वेतन निर्धारण का अधिकारी है, अस्वीकृत पाया जाता है, क्योंकि दिनांक 17.06.2010 के आदेश (अनुलग्नक आर-जे/2) से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 89 दिनों की अवधि के लिए दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और इसके अतिरिक्त, उसकी सेवा में एक या दो दिन का नहीं, बल्कि 21.06.1990 से 31.03.1993 तक का अंतराल था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता की दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति अन्य पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए बिना की गई थी। अतः, उस अवधि को विधिवत नियुक्ति नहीं माना जा सकता और यदि नियुक्ति विधिवत नहीं थी, तो याचिकाकर्ता अपने वेतनमान के निर्धारण के उद्देश्य से सेवा में निरंतरता का अधिकारी नहीं है। वास्तव में, याचिकाकर्ता को नियमित पद पर सेवा में संविलियन किए जाने की तिथि को ही सेवा में माना गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.07.1973 के परिपत्र (अनुलग्नक पी/9) पर अवलंब करना अनुचित है, क्योंकि परिपत्र में किसी कर्मचारी को अतिशेष घोषित करके दूसरे विभाग में सेवा में संविलियन करने का प्रावधान है। सेवा में निरंतरता होनी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता न तो अतिशेष कर्मचारी था, क्योंकि वह दैनिक वेतन पर कार्यरत था, और दूसरा, उसकी नौकरी में

निरंतरता भी नहीं थी। याचिकाकर्ता पहली बार दिनांक 21.06.1990 को अपनी सेवा समाप्ति के बाद से लेकर दिनांक 26.03.1993 को दैनिक वेतन पर पुनर्नियुक्ति तक 89 दिनों के लिए कर्तव्य से अनुपस्थित रहा। याचिकाकर्ता ने अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करने के बाद भी ड्यूटी से अनुपस्थित रहा, जिसे दिनांक 15.06.1995 को तुरंत स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद, सहानुभूति के आधार पर उसे दिनांक 05.01.1996 को फिर से दैनिक वेतन पर नियुक्त किया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता उपरोक्त परिपत्र का कोई लाभ नहीं उठा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. *श्री अनिल कुमार चौधरी विरुद्ध असम राज्य और अन्य*[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवधारित किया:

> "12. इसके अलावा, याचिकाकर्ता की स्थानापन्न सेवा में 3 मार्च, 1996 और 9 मार्च, 1966 के बीच एक अंतराल है। एक बार निरंतरता बाधित हो जाने पर, दावा निरर्थक हो जाता है। वर्षों की सेवा मात्र एक सप्ताह की रुकावट के कारण व्यर्थ हो जाती है। विधि में एक छोटा सा अंतराल भी भारी विफलता साबित हो सकता है। यह तर्क कि इस छोटे अंतराल की भरपाई अधिकारी द्वारा लिए गए कार्यभार ग्रहण करने के समय से हो गई, मान्य हो सकती है यह तुरंत कार्यभार न संभालने का एक स्पष्टीकरण

[1] (1975) 4 SCC 7

है, लेकिन सेवा में निरंतरता के विधिक पक्ष को छुपा नहीं सकता।"

17. *बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी और अन्य विरुद्ध डॉ. इंद्र प्रताप सिंह*[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

"9...एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में या एक संस्थान से दूसरे संस्थान में स्थानांतरण की स्थिति में, यह युक्तियुक्त रूप से अवधारित किया जा सकता है कि कुछ अंतराल अवश्य होगा। यह अंतराल एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने का हो सकता है। महत्वपूर्ण बात अंतराल या विराम की अवधि नहीं है, बल्कि इसकी प्रकृति है। हमारा यह कहना नहीं है कि ऐसे अंतराल की अवधि पूरी तरह असंगत है; हमारा तात्पर्य यह है कि विराम के कारण या उन परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए जिनमें ऐसा विराम हुआ है। उक्त अभिव्यक्ति को समझने और उसकी व्याख्या करने में ध्यान में रखा जाने वाला एक अन्य कारक उक्त आवश्यकता का अंतर्निहित उद्देश्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकृत रूप से है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति की प्रकृति के कारण सेवा में अंतराल आया था, क्योंकि यह दैनिक वेतन के आधार

[2] (1992) Supp (2) SCC 2

पर थी, दूसरा, याचिकाकर्ता ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद, सहानुभूति के आधार पर उसे फिर से सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए, याचिकाकर्ता का मामला 'निरंतर सेवा' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।

19. पूर्वगामी तथ्यों और ऊपर उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, याचिका योग्यताहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

20. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By : Kamlesh Kumar Sahu